



## न्यायालय

### उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ़ जिला-अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या :-01/166/2017 ऑनलाईन नम्बर-2017/00354 प्रवेश तिथि-14.11.2017

1. मनमरी पत्नि स्व० श्री दुर्गाप्रसाद जाति ब्राह्मण
2. रामअवतार पुत्र स्व० श्री दुर्गाप्रसाद जाति ब्राह्मण
3. कमलेश पुत्र स्व० श्री दुर्गाप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासीयान ग्राम बाढ ढिगावडा तहसील राजगढ़ जिला अलवर।

.....वादीगण

बनाम

1. रामगोपाल पुत्र श्री बदरी प्रसाद जाति ब्राह्मण।
2. गजानन्द पुत्र श्री बदरी प्रसाद जाति ब्राह्मण।
3. ओम प्रकाश पुत्र श्री बदरी प्रसाद जाति निवासीयान ग्राम बाढ ढिगावडा तहसील राजगढ़ जिला अलवर।
4. किस्तुरी देवी पत्नि श्री रघुवीर पुत्र श्री बदरी प्रसाद जाति ब्राह्मण हाल निवासी ग्राम केसरी का बास तहसील महुआ जिला दौसा।
5. भगवती देवी पत्नि श्री सियाराम शर्मा पुत्री श्री बदरी प्रसाद जाति ब्राह्मण हाल निवासी ग्राम नाभावाला तहसील व जिला दौसा।
6. गिरार्ज पुत्र श्री जगन्नाथ जाति ब्राह्मण।
7. रेखा उर्फ धापा बेवा रामेश्वर जाति ब्राह्मण समस्त निवासीयान ग्राम बाढ ढिगावडा तहसील राजगढ़ जिला अलवर। मृतक
8. मनोरी देवी पत्नि श्री मनोहरलाल पुत्र श्री रामेश्वर जाति ब्राह्मण हाल निवासी ग्राम खेडली गंज तहसील कटुमर जिला अलवर।
9. सीमा देवी पत्नि श्री जगदीश शर्मा पुत्री श्री रामेश्वर जाति ब्राह्मण निवासी विरकडी तहसील राजगढ़ जिला अलवर।
10. उप पंजीयक महोदय राजगढ़ जिला अलवर।
11. तहसीलदार साहब राजगढ़ जिला अलवर।

.....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा-53, 188

उपस्थित:- श्री सतीश शर्मा एडवो-वादी

श्री अशोक कुमार शर्मा एडवो-प्रतिवादी

-:निर्णय:-

दिनांक 01/12/2026

1. आज यह दावा तकसीम आराजी का वास्ते निर्णय पेश हुआ। सुक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादीगण द्वारा दावा तकसीम आराजी का इस न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि हाल आराजी खाता संख्या 318 खसरा संख्या 745/0.18, 746/0.11, 747/0.34, 748/0.17 कुल कित्ता 4 कुल रकबा 0.80 है 0 वाके ग्राम ढिगावडा तहसील राजगढ़ व खाता संख्या 43, खसरा संख्या 20/0.19, 21/0.16, 22/0.18, 23/0.16, 104/0.12, 105/0.12, 106/0.11, 134/0.07, 135/0.15 वाके ग्राम बाढ ढिगावडा तहसील राजगढ़ जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त आराजी वादी व प्रतिवादी की शामलाती की आराजी है। उक्त आराजीयात में वादीगण 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 उक्त आराजी में 1/4 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 1/4 हिस्से व प्रतिवादीगण संख्या 7 लगायत 9, 1/4 हिस्से के खातेदार

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़  
जिला-अलवर

काशतकार है। ओर इनके मध्य अब काशत करने में सुविधाजनक नहीं रहा है और आपस में काशत को लेकर मुताबिक हिस्से को लेकर तनाजा रहता है तथा प्रतिवादीगण मुतनाजा आराजी को बिना तकसीम करवाये बेचान करने को आमादा है जिसका प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार नहीं है और यदि प्रतिवादीगण के द्वारा ऐसा किया गया तो वादीगण को ना पूर्ति होने वाली क्षति होगी। इसलिए वादीगण मुतनाजा आराजी को अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी तकसीम कराकर खाता पृथक-पृथक किया जावे। अन्त में दावा वादी डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 व 6, 7 व पैरोकार असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय आये। तथा प्रतिवादी संख्या 4, 5 व 8 लगायत 9 बाद सुचना तामील उपस्थित नहीं आने की स्थिति में उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकुलाय की ओर से प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर कुर्रजात रिपोर्ट तलब करने पर सहमति दी गई। हस्ब सहमति वकुलाय पर प्रारम्भिक डिक्री की जाकर तहसीलदार से कुर्रजात रिपोर्ट तलब की गई।

3. प्रकरण में तहसीलदार राजगढ़ के पत्र क्रमांक/भूअ./2022/5327 दिनांक 07.11.2022 के द्वारा कुर्रजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। बहस वकुलाय की सुनी गई। दौरान-ए-बहस वकुलाय द्वारा मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट सहमति जाहिर की।

4. मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2072-2075 खाता संख्या 46 वाके ग्राम बाढ ढिगावडा, जमाबंदी सम्वत् 2069-2075 खाता संख्या 318 वाके ग्राम ढिगावडा तहसील राजगढ़ जिला अलवर के अंकित इन्द्राज से मुतनाजा आराजी पक्षकारान की सहखातेदारी की आराजी होना साबित है। तहसीलदार राजगढ़ द्वारा प्रेषित की गई रिपोर्ट से भी वकुलाय सन्तुष्ट है। वकुलाय ने कुर्रजात रिपोर्ट अनुसार दावा वादी डिक्री फरमाने का निवेदन किया। दावा वादी मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट अनुसार डिक्री किया जाता है।

5. प्रकरण तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु हैं जो इस प्रकार हैं—  
प्रथम- स्वामित्व एवं कब्जा:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खातों का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काशतकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काशतकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काशतकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है

द्वितीय- सुविधा का सन्तुलन:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खातों का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काशतकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काशतकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

अखण्ड अधिकारी, राजगढ़  
जिला-अलवर



तृतीय- अपूरणीय क्षति-प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खातों का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करें या आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो वेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

6. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा हाल आराजी खसरा संख्या 745/0.18, 746/0.11, 747/0.34, 748/0.17 कुल किता 4 कुल रकबा 0.80 है0 वाके ग्राम दिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर व खाता संख्या संख्या 43, खसरा संख्या 20/0.19, 21/0.16, 22/0.18, 23/0.16, 104/0.12, 105/0.12, 106/0.11, 134/0.07, 135/0.15 वाके ग्राम बाढ दिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार राजगढ के अनुसार डिक्री किया जाता है। आराजी विवादित का पक्षकारान में निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खोतदार	खसरा संख्या	रकबा (है0)
1	खाता संख्या 318 वाके ग्राम दिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर। मनभरी देवी पत्नि दुर्गाप्रसाद, रामअवतार, कमलेश पुत्रान दुर्गाप्रसाद जाति ब्राह्मण सा0 बाढ दिगावडा हिस्सा पूर्ण।	748 747 मिन कुल किता 2	0.17 0.03 0.20
2	ओम प्रकाश पुत्र बदरी प्रसाद हिस्सा 1/5, गजानन्द पुत्र बदरी प्रसाद हिस्सा 1/15 गिराज पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/3 मनोरी पुत्री रामेश्वर हिस्सा 1/6, रामगोपाल पुत्र बदरीप्रसाद हिस्सा 1/15 सीमा पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/6, जातियान ब्राह्मण सा0 बाढ दिगावडा	745 746 747 मिन कुल किता 3	0.18 0.11 0.31 0.60
1	खाता संख्या 43 वाके ग्राम बाढ दिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर। मनभरी देवी पत्नि दुर्गाप्रसाद, रामअवतार, कमलेश पुत्रान दुर्गाप्रसाद जाति ब्राह्मण सा0 बाढ दिगावडा हिस्सा पूर्ण।	104 20 मिन 21 मिन 22 मिन कुल किता 4	0.12 0.171 0.0120 0.0120 0.315 है0
2	गजानन्द पुत्र बदरी प्रसाद हिस्सा 1/15 गिराज पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/3 पंकज देवी पत्नी ओमप्रकाश हिस्सा 1/5 मनोरी पुत्री रामेश्वर हिस्सा 1/6, रामगोपाल पुत्र बदरीप्रसाद हिस्सा 1/15 सीमा पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/6, जातियान ब्राह्मण सा0 बाढ दिगावडा	105 106 134 135 21 मिन 22 मिन 23 20 मिन कुल किता 8	0.12 0.11 0.07 0.15 0.148 0.168 0.16 0.019 0.945 है0

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ  
जिला-अलवर

अनुवान-मनमरी बनाम रामगोपाल  
मुकदमा संख्या-01/166/2017  
निर्णय दिनांक 12/01/2026

उक्तानुसार पक्षकारान अपने अपने हिस्से की आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक दर्ज कराने के अधिकारी है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण को बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। नक्शा कुर्रैजात दिनांक 07.11.2022 निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। साथ ही आदेश है कि तहसीलदार राजगढ इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावें।

निर्णय आज दिनांक 12/01/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(सुश्री सीमा श्रीमा आरु ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी राजगढ  
जिला-अलवर





## न्यायालय

### उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर राजगढ जिला-अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या :-01/166/2017

ऑनलाईन नम्बर-2017/00354 प्रवेश तिथि-14.11.2017

1. मनभरी पत्नि स्व० श्री दुर्गाप्रसाद जाति ब्राह्मण
2. रामअवतार पुत्र स्व० श्री दुर्गाप्रसाद जाति ब्राह्मण
3. कमलेश पुत्र स्व० श्री दुर्गाप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासीयान ग्राम बाढ ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर।

.....वादीगण

बनाम

1. रामगोपाल पुत्र श्री बदरी प्रसाद जाति ब्राह्मण।
2. गजानन्द पुत्र श्री बदरी प्रसाद जाति ब्राह्मण।
3. ओम प्रकाश पुत्र श्री बदरी प्रसाद जाति निवासीयान ग्राम बाढ ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर।
4. किस्तुरी देवी पत्नि श्री रघुवीर पुत्र श्री बदरी प्रसाद जाति ब्राह्मण हाल निवासी ग्राम केसरी का बास तहसील महुआ जिला दौसा।
5. भगवती देवी पत्नि श्री सियाराम शर्मा पुत्री श्री बदरी प्रसाद जाति ब्राह्मण हाल निवासी ग्रा नाभावाला तहसील व जिला दौसा।
6. गिर्राज पुत्र श्री जगन्नाथ जाति ब्राह्मण।
7. रेखा उर्फ धापा बेवा रामेश्वर जाति ब्राह्मण समस्त निवासीयान ग्राम बाढ ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर। मृतक
8. मनोरी देवी पत्नि श्री मनोहरलाल पुत्र श्री रामेश्वर जाति ब्राह्मण हाल निवासी ग्राम खेडली गंज तहसील कटुमर जिला अलवर।
9. सीमा देवी पत्नि श्री जगदीश शर्मा पुत्री श्री रामेश्वर जाति ब्राह्मण निवासी बिरकडी तहसील राजगढ जिला अलवर।
10. उप पंजीयक महोदय राजगढ जिला अलवर।
11. तहसीलदार साहब राजगढ जिला अलवर।

.....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188

उपस्थित:- श्री सतीश शर्मा एड०-वादी

श्री अशोक कुमार शर्मा एड०-प्रतिवादी

पर्चा डिक्री

दिनांक 12.01.2026

दावा वादी तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा हाल आराजी खाता संख्या 318 खसरा संख्या 745/0.18, 746/0.11, 747/0.34, 748/0.17 कुल किता 4 कुल रकबा 0.80 है० वाके ग्राम ढिगावडा तहसील राजगढ व आराजी खाता संख्या 43, खसरा संख्या 20/0.19, 21/0.16, 22/0.18, 23/0.16, 104/0.12, 105/0.12, 106/0.11, 134/0.07, 135/0.15 वाके ग्राम बाढ ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट तहसीलदार राजगढ के अनुसार डिक्री किया जाता है। आराजी विवादित का पक्षकारान में निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खेतदार	खसरा संख्या	रकबा (है०)
1	खाता संख्या 318 वाके ग्राम ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर।		
	मनभरी देवी पत्नि दुर्गाप्रसाद, रामअवतार, कमलेश पुत्रान दुर्गाप्रसाद जाति ब्राह्मण सा० बाढ ढिगावडा हिस्सा पूर्ण।	748 747 मिन	0.17 0.03
		कुल किता 2	0.20

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ  
जिला-अलवर

2	ओम प्रकाश पुत्र बदरी प्रसाद हिस्सा 1/5, गजानन्द पुत्र बदरी प्रसाद हिस्सा 1/15 गिराज पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/3 मनोरी पुत्री रामेश्वर हिस्सा 1/6, रामगोपाल पुत्र बदरीप्रसाद हिस्सा 1/15 सीमा पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/6, जातियान ब्राह्मण सा0 बाढ दिगावडा	745 746 747 मिन	0.18 0.11 0.31
		कुल किता 3	0.60
1	खाता संख्या 43 वाके ग्राम बाढ दिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर। मनभरी देवी पत्नि दुर्गाप्रसाद, रामअवतार, कमलेश पुत्रान दुर्गाप्रसाद जाति ब्राह्मण सा0 बाढ दिगावडा हिस्सा पूर्ण।	104 20 मिन 21 मिन 22 मिन	0.12 0.171 0.0120 0.0120
		कुल किता 4	0.315 है0
2	गजानन्द पुत्र बदरी प्रसाद हिस्सा 1/15 गिराज पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/3 पंकज देवी पत्नी ओमप्रकाश हिस्सा 1/5 मनोरी पुत्री रामेश्वर हिस्सा 1/6, रामगोपाल पुत्र बदरीप्रसाद हिस्सा 1/15 सीमा पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/6, जातियान ब्राह्मण सा0 बाढ दिगावडा	105 106 134 135 21 मिन 22 मिन 23 20 मिन	0.12 0.11 0.07 0.15 0.148 0.168 0.16 0.019
		कुल किता 8	0.945 है0

उक्तानुसार पक्षकारान अपने अपने हिस्से की आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक दर्ज कराने के अधिकारी है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण को बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नही करने एवं आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न नही करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। नक्शा कुर्रैजात दिनांक 07.11.2022 निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। साथ ही आदेश है कि तहसीलदार राजगढ इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 12/01/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।  
पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हों।



(सुश्री सीमा मौना आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी राजगढ  
जिला-अलवर

Consul-  
Raj  
9/11/2022

## कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) राजगढ़ (अलवर)

क्रमांक/नु.अ./2022/ 5327

दिनांक 07/11/2022

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

राजगढ़ (अलवर)

विषय:- वाद संख्या 01/166/2017 उनवान मन्गरी कनाम रामोपाल

निर्णय दिनांक 25/2/22 वाके ग्राम ढिगाका व वाके ढिगाका

की पालना रिपोर्ट बाबत।

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत निवेदन है कि आराजी खसरा नं. / रकबा

:- ढिगाका  $\frac{745}{0.18}$ ,  $\frac{746}{0.11}$ ,  $\frac{747}{0.254}$ ,  $\frac{748}{0.17}$  क्रि-4  
 $\frac{0.808}{0.808}$

:- वाके ढिगाका  $\frac{104}{0.12}$ ,  $\frac{105}{0.12}$ ,  $\frac{106}{0.11}$ ,  $\frac{134}{0.07}$ ,  $\frac{135}{0.15}$ ,  $\frac{20}{1.13}$ ,  $\frac{21}{0.16}$ ,  $\frac{22}{0.18}$ ,  
 $\frac{23}{0.16}$  क्रि-9  
 $\frac{1.26}{1.26}$

किता — कुल रकबा — वाके ग्राम ढिगाका व वाके ढिगाका

के कुरजात रिपोर्ट तैयार कर श्रीमानजी की सेवा में सादर प्रेषित है।

7118  
9/11/22

Signature  
तहसीलदार (भू.अ.)  
राजगढ़ (अलवर)

**मौका रिपोर्ट**  
( विभाजन प्रस्ताव )

में .....(नाम) तहसीलदार....., न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, ..... के आदेश क्रमांक 10.12..... दिनांक 12.3.22 की पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक 4.11.22 समय ..... बजे आराजी खसरा नम्बर-...745, 746, 747, 748 वाके ग्राम दिगावडा.... पटवार हल्का ..दिगावडा..... पर श्री ..... नायब तहसीलदार / भू अभिलेख निरीक्षक / पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा। ख.नं. 20, 21, 22, 23, 104, 105, 106, 134, 135 ग्राम वाढे दिगावडा

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, ..... में विचाराधीन प्रकरण संख्या-01/166/2017 के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस क्रमांक ..... दिनांक ..... द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी
1.	रामभक्तार	पुत्र दुर्गाप्रसाद	44	ब्राह्मण	वादी
2.	कमलेश	पुत्र दुर्गाप्रसाद	38	ब्राह्मण	वादी
3.	गजानन्द	पुत्र खदरी	53	ब्राह्मण	प्रतिवादी
4.	गिराज	पुत्र भगवान्नाथ	65	ब्राह्मण	प्रतिवादी

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम-18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये :-

ग्राम दिगावडा

1) मनभरी ज० दुर्गाप्रसाद, रामभक्तार, कमलेश पुत्र दुर्गाप्रसाद हेतु पूर्ण जाति ब्राह्मण सा० वाढे दिगावडा तहसीलदार सहक उपखण्ड प्रखण्ड दिगावडा

क्र.सं.	ख.नं.	शकबा
1.	748	0.17 हे०
2.	747 मिन	0.03 हे०
कुल जित 03 शकबा = 0.20 हे०		

(रामभक्तार) कर्मलेश-  
कर्मलेश कुमार शर्मा

4-11-22  
20.22 दिगावडा

② डोंगपकाश पुत्र बदरी प्रसाद 1/5 हि, गजानन्द पुत्र बदरी प्रसाद 1/5 हि, जगन्नाथ 1/5 हि, मनोरी पुत्री रामेश्वर 1/5 हि, रामगोपाल पुत्र बदरी प्रसाद 1/5 हि, सीमा पुत्री रामेश्वर 1/5 हि जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार

क्र.सं.	ख.नं.	रकबा
1.	745	0.18 ₹0
2.	746	0.11 ₹0
3.	747 मित्र	0.31 ₹0
		<u>कुल कित्त = 03 रकबा = 0.60 ₹0</u>

ग्राम - सादरिगावडा

① मनोरी 1/10 दुर्गा प्रसाद, रामबतार, कमलेश पिठ दुर्गा प्रसाद जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार

क्र.सं.	ख.नं.	रकबा
1.	104	0.12 ₹0
2.	20 मिठ	0.17 ₹0
3.	21 मिठ	0.0120 ₹0
4.	22 मिठ	0.0120 ₹0
		<u>कुल कित्त = 04 रकबा = 0.315 ₹0</u>

② गजानन्द पुत्र बदरी प्रसाद 1/5 हि, गिराज पुत्र जगन्नाथ 1/5 हि, पंकज देवी 1/10 ओमप्रसाद 1/5 हि, मनोरी पुत्री रामेश्वर दयाल 1/5 हि, रामगोपाल पुत्र बदरी प्रसाद 1/5 हि, सीमा पुत्री रामेश्वर दयाल 1/5 हि जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार

क्र.सं.	ख.नं.	रकबा
1.	105	0.12 ₹0
	106	0.11 ₹0
2.	134	0.07 ₹0
3.	135	0.15 ₹0
4.	021 मित्र	0.148 ₹0
5.	22 मिठ	0.168 ₹0
6.	23 मिठ	0.16 ₹0
7.	20 मिठ	0.019 ₹0
		<u>कुल कित्त = 08 रकबा, 0.945 ₹0</u>

4-11-22  
 2 रर डिगडा  
 रामगोपाल  
 Ramsh.  
 रामगोपाल 02/11/22

उक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनाये गये। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	वादी/ प्रतिवादी.
1.	रामभक्तार	शु. दुर्गाप्रसाद	ब्राह्मण		वादी
2.	कमलेश	शु. दुर्गाप्रसाद	ब्राह्मण		वादी

निम्न पक्षकारों ने विभाजन प्रस्ताव पढ़, सुनकर, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी.
1.	गजानन्द	शु. कदरी		ब्राह्मण	प्रतिवादी
2.	गिरिजा	जगन्नाथ		ब्राह्मण	प्रतिवादी

मौके पर अन्य मौतबिरान को भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पढ़कर सुनाये गये और निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ मोबाईल नं.
1.	रामभरोरणी मीना	शु. हरचन्द मीना			
2.	श्रीमधुप्रसाद	वसुदेव प्रसाद		ब्राह्मण	

9460301934  
  
 9636173561

इस प्रकार आज दिनांक 4-11-22 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।


हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
पटवारी	भू. अ. निरीक्षक	ना. तह.	तहसीलदार
पं. मं.	विभागाध्यक्ष	.....	.....



व - डिगालडा तह - राजगोट विला ० अलवर (राज.)

संवत् - २०५२

पुस्तिका १८०० = ४०००

नजरी - नवशा



- संकेत
- ①  डोमपकाय पुस्तिकारी वर्गेठ
  - ②  मनमरी व/० कुर्णप्रसाद वर्गेठ

राजभाकरराव

प्लेनफेश.  
नमलीरा कुमारी

गणेश

- ① डोम पुस्तिकारी
- ② राजभाकरराव

4-11-22  
 डी. राधिका  
 न.ए. डिगालडा

37AK  
 न.ए. डिगालडा ①

गाव - बाढ दिगावडा तह० - राखमठ



जिल्हा - अलवर (राज०)


संवत् - २०५२

पेन्नाला १८३ = ४०३

जारी - नवव्या




०  ओमप्रकाश पुंड्र वरी वगेठ  
संकेत  मनमरी ५७० दुर्गाप्रसाद वगेठ

  
५-११-२२  
इ. अर दिगावडा

अर्वा

ओमप्रकाश वरी  
राखमठ पी. व. ड.

  
(समाप्त) इ. अर



तहसीलदार (भू०अ०)  
राखमठ (अलवर)

कम्बो.  
आमली इ. अर

  
इ. अर दिगावडा